न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 5/2024

प्रार्थी		अप्रार्थी
रामबक्स विश्नोई	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.05.2024	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ,136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र ग्राम मंगल नगर पटवार हल्का गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी के खसरा नम्बर 363, 418, 419 420/1, 443 कुल खसरा 5 कुल रकबा 12.0272 हैक्टर मे प्रार्थी का उक्त खसरान की कृषि भूमियो मे रामवृक्षराम पुत्र हरलाल के स्थान पर रामबक्स विश्नोई पुत्र हरलाल विश्नोई नाम दर्ज किया जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किये गया तथा तहसीलदार लूणी से जबाव वास्ते तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भू.अ/2024/819 दिनाक 22.03.2024 के द्वारा प्रकरण मे जबाव प्राप्त हुआ। जिसमे बताया गया कि ग्राम मंगलनगर के खसरा नम्बर 363, 418, 419 420/1, 443 कुल रकबा 12.0272 मे रामवृक्ष राम पुत्र हरलाल का हिस्सा 1/2 जाति विश्नोई सा देह खातेदार दर्ज है रामवृक्ष राम पुत्र हरलाल का नाम जरिये नामा,संख्या 381 दिनांक 26.01.2015 के दृवारा हरलाल फौत होने पर दर्ज हुआ एव रामवृक्ष राम व रामबक्श एक ही व्यक्ति का नाम है प्रार्थी के प्रस्तुत आधार कार्ड पेन कार्ड इत्यादि रामबक्श विश्नोई पुत्र हरलाल विश्नोई के नाम से बना हुए है एव तहसीलदार लूणी द्वारा नाम शुद्व किया जाने की अनुशंषा की गई एव सहखातेदार सुन्दर देवी द्वारा शपथ पत्र के जरिये रामवृक्ष के स्थान पर रामबक्श विश्नोई किया जावे तो कोई एतराज नही का शपथ पत्र पेश किया गया । अतः– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व, अधिनियम को प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मंगल नगर पटवार हल्का गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी के खसरा नम्बर 363, 418, 419 420/1, 443 कुल खसरा 5 कुल रकबा 12.0272 हैक्टर मे प्रार्थी का नाम रामवृक्षराम के स्थान पर रामबक्श बिश्नोई नाम दर्ज किया जावे पालना रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	